



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अपहरण व हत्या के अभियोग में 04 अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹72,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 180/2016 धारा-364,302,201 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.चांद मोहम्मद उर्फ चांदबाबू पुत्र अल्ला रैक्खू नि० इस्लामाबाद थाना कदौरा जनपद जालौन 2.शैलेन्द्र सिंह उर्फ सन्नो सिंह पुत्र जयनारायण सिंह नि० ग्राम व्यासपुरा थाना कदौरा जनपद जालौन 3.जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामसेवक नि० ग्राम अम्बेडकर नगर थाना कदौरा जनपद जालौन 4.मुल्लू सिंह पुत्र राजवीर सिंह नि० ग्राम परौसा थाना कदौरा जनपद जालौन को आजीवन कारावास व ₹72,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-  
डीजीसी श्री राजेश कुमार  
शुक्ला



विवेचक-  
निरी० भगवती प्रसाद  
मिश्रा



पैरोकार- थाना कुरारा  
का० रजनीश यादव